18/2023

रिपोर्ट पटवारी पहाड़ी........तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम बरथल................ की खाता संख्या 163,164........मे प्रार्थी का नाम मोहरिया..........................दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजो मे सही नाम मोरपाल.....................दर्ज है। खाते मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रष है। अतः ग्राम बरथल.......की खाता संख्या 163,164 मे दर्ज नाम मोरपाल मोहरिया....के बजाय सही इन्द्राज मोरपाल पिता का........................दर्ज किया जाना उचित है।

मू अभिलेख निरीक्षक 16/5/23

पटवारी 16/5/23

कार्यालय तहसीलदार निवाई जिला टोंक

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०)निवाई

क्रमांक/भू०अ०/2023/14602 दिनांक 06/6/23

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बरथल.............की जमाबन्दी की खाता संख्या 163,164.........मे दर्ज नाम प्रार्थी के पिता मोहरिया..........................के बजाय सही नाम...........................मोरपाल.................................दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थीगण के पिता का

तहसीलदार निवाई

तहसीलदार (भू०अ०)निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

18/2023

क्रमांक/ दिनांक 6/9/23

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं सलग्न दस्तावेजो के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बरथल.......की जमाबन्दी की खाता संख्या 163,164..................मे दर्ज नाम/इन्द्राज प्रार्थी के पिता का नाम मोहरिया............के बजाय सही नाम/इन्द्राज मोरपाल प्रार्थी के पिता का.........................दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार निवाई आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।

06/09/23

उपखण्ड अधिकारी

निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner